

प्रेषक,

दितीय कुमार श्रीवास्तव,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

लेवा में

कुलसचिव,  
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,  
जौनपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

तखनक - दिनांक : 16 नवम्बर, 2013

विषय- महाविद्यालय संघालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-कुविधि/सम्बद्धता/01(एक)/2013/2609, दिनांक 25.10.2013 के संदर्भ में मुझे यह करने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (व्यावसायिक उद्योगशास्त्र विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अन्तर्गत राय सफल स्वरूप महाविद्यालय रोहतासी अंतर्राज्य, आरजवाड़ को स्नातक स्तर पर क्या संकाय के अंतर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, मूलत एवं नृवैज्ञान विद्यों में स्वीकृत/पंजीयत योजना/संलग्न विध्वनितिकृत शर्तों के अन्तर्गत दिनांक 01.7.2013 से आगामी तीन वर्षों हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है-

1. महाविद्यालय प्रपत्र-बी में दृष्टित प्राचार्य/प्रवक्ताओं के बचन की प्रक्रिया पूर्ण कर लेनी गयी है, विद्युक्ति-पत्र जारी नहीं हुआ है, ये सम्बन्धित कर्मियों को पूरा कर लेना।
2. संख्या द्वारा उक्त राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा पूरा अधिनियम 1973 की धारा-37(2) में दृष्टित/नियत परामुक्त के अनुसार सम्बद्धता प्रकृति की विधि से एक वर्ष की अवधि में सभी नियमित मनकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले वार्षिक वर्ष में जाँच का प्रवेश दृष्टित/नियत होगा।
3. महाविद्यालय शर्तों सम्बद्धता आदेश में दृष्टित कर्मियों की पूर्ति कर लेना एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रस्ताव/पत्र प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों निरंतर पूरी कर रहा है।
4. महाविद्यालय शासन/देश संख्या-2851/संलग्न-2-2003-14(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2002 में बतलित/नियत कुलसचिव विद्या-निदेशों एवं इस विषय में संलग्न-संलग्न पर निर्गत अन्य शासन/देशों का पालन करेगा।
5. रिट दृष्टित संख्या-61859/2012 में पणित आदेश दिनांक 20-12-2012 के अनुपालन हेतु मानवसंसाधन विभागों के अनुपालन/विद्युक्ति के संस्था में निर्गत शासन/देश संख्या-622/संलग्न-2-2013-2(600)/2012 दिनांक 30 अक्टूबर, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा दृष्टित/नियत करवा जाये।
6. यदि संख्या द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्ति तथा उनकी निरंतरता को दृष्टित/नियत नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के दृष्टित/नियतों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता सफल विधि जाने की कार्यवाही निरन्तर जारी की जायेगी।

महोदय,

दितीय कुमार श्रीवास्तव  
अनु सचिव।

संख्या-संख्या 649(1)/संलग्न-6-2013, तदुद्दिनांक।

दृष्टित/नियत विध्वनितिकृत को संपूर्ण एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
3. प्रबन्धक/सचिव, राय सफल स्वरूप महाविद्यालय रोहतासी अंतर्राज्य, आरजवाड़।
4. अवर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इतिहास भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
5. कार्य फाइल।

अर्थात्

दितीय कुमार श्रीवास्तव  
अनु सचिव।

A